जिला बाल कल्याण परिषद, रेवाड़ी ।

तहसील परिसर, रेवाड़ी मे स्थित कम्प्युटर दुकान (तहसील संबन्धित कार्य) की बोली दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 (वर्ष 2026-27) तक छोड़ने बारे नियम एवं शर्ते:-

1. कम्प्युटर दुकान की बोली दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक छोड़ी जायेगी।
2. दुकान की बोली मे भाग लेने के लिये बीस हजार रूपये का ड्राफ्ट जिला बाल कल्याण परिषद, रेवाड़ी के नाम से बतौर रजिस्ट्रेशन/ अग्रिम सिक्योरिटी जमा करवाना होगा।
3. दुकान की बोली 50820/- रूपये प्रतिमाह किराये से शुरू होगी और जीएसटी सरकार की हिदायत अनुसार अलग से देना होगा। दुकान एक वर्ष के लिये किराये पर दी जायेगी तथा यदि किरायेदार आगे रखने का इच्छुक होगा तो एक वर्ष उपरांत उसे किराये में 10% बढ़ोतरी के साथ आगामी एक वर्ष के लिये दोनों (किरायेदार एवं परिषद) की सहमति उपरांत किराये पर दी जायेगी। दोनों में से किसी एक की सहमति नही हुई तो उस सूरत में दुकान को दोबारा से अलोट करने के लिये प्रक्रिया अमल में लाई जायेगी।
4. सफल बोली दाता द्वारा मौके पर ही पहली तिमाही किश्त जमा करवानी होगी। अगर प्रथम बोलीदाता किश्त जमा नही करवाता है तो जमा सिक्योरिटी राशि जब्त कर दूसरे नंबर के बोलीदाता के नाम बोली छोड़ दी जायेगी। बकाया तिमाही किश्त तीसरे माह के अंतिम सप्ताह में जमा करवानी होगी। किराया समय पर जमा करवाना होगा अन्यथा सिक्योरिटी राशि जब्त करके अलोटमेंट रद्द कर दी जायेगी और दुकान की बोली प्रक्रिया दोबारा से अमल में लाई जायेगी।
5. बोली स्वीकृत -अस्वीकृत करने का अधिकार कमेटी का होगा। किसी कारणवश बोली अस्वीकृत कर दी जाती है तो उस सूरत मे जमा सिक्योरिटी राशि पर कोई ब्याज नही दिया जायेगा।
6. बिजली एवं साफ सफाई का प्रबंध दुकानदार के अलोटी द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा दुकान में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दुकानदार/अलोटी से की जायेगी।
7. दुकान दोनों पक्षो द्वारा एक माह के लिखित नोटिस पर खाली की/करवाई जा सकती है एवं दुकानदार ठेका पूर्ण होने से पूर्व बगैर सुचना दिये स्वयं दुकान एवं खाली करता है तो उसकी जमा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. अलौटी द्वारा स्टाम्प पेपर पर किराये की शर्तो की अनुपालना हेतु शपथ पत्र देना होगा एवं एक इकरारनामा भी जिला बाल कल्याण परिषद, रेवाड़ी से करना अनिवार्य होगा।
9. अन्य शर्ते मौके पर बताई जायेगी।
10. दुकान बारे किसी प्रकार का *dispute* होता है तो उपायुक्त एवं प्रधान, जिला बाल कल्याण परिषद का फैंसला अंतिम होगा जोकि दोनों पक्षों को मान्य होगा।

Distt. Child Welfare Officer
Rewari